

**SECTION- I**

(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

**कार्यालय नगर पालिका गंगापुर जिला-भीलवाडा(राज0)**

फोन नम्बर 01481-220030 , फ़ैक्स नम्बर 01481-220025

E-Mail- [npgangapur@gmail.com](mailto:npgangapur@gmail.com)

क्रमांक / नपागं / निर्माण / निविदा / 2018 /

दिनांक :-

**ई-निविदा सूचना संख्या 17 / 2017-18**

नगर पालिका गंगापुर द्वारा के.लो.नि.वि., डाक, दूरसंचार, रेलवे, से.अ.से., एवं राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/संगठनों में सूचीबद्ध संवेदक जो राजस्थान सरकार के समदर्श श्रेणी के समकक्ष हो से ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन तकनीकी व वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in), [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

क्र सं	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
			नगर पालिका, गंगापुर में पंजीकृत से अनुमानित लागत का 0.5 %	अन्य विभागों में पंजीकृत से अनुमानित लागत का 2%		
1	वार्ड न. 06 में सहाडा मेन रोड से राधेश्याम के मकान तक एवं वार्ड न. 03 में कृष्ण गोपाल जीनगर के मकान के पास सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	09.62	4810	19240	500	3 माह

सामान्य :-

1. निविदा में भाग लेने वाले बीडर द्वारा जो डीडी जमा एवं साईट पर अपलोड की जायेगी वह निविदा प्रकाशन के बाद की दिनांक की होनी आवश्यक है।
2. राजस्थान सरकार वित्त विभाग (व्यय-III) के अनुसार उपरोक्त कार्य के लिये पोटेसियल एसेसमेंट पद्धति अपनाई जावेगी।
3. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू.ए.-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
4. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1 (1) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये से कम की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख या 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर. आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
5. निर्माण कार्यों में **Defect Liability Period** सरकारी शर्तों के अनुसार रहेगी।

बिडिंग डाक्यूमेंट :-

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट से दिनांक 23.02.2018 सांय 05.00 बजे बजे से दिनांक 20.03.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक डाउनलोड (Download) कर सकते हैं। इन निविदाओं को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर जमा कराये।
2. निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दिनांक 20.03.2018 को दोपहर 02.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 21.03.2018 को सांय 5.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी।
3. निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।


निविदा प्रपत्र को वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, डाइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड (Download) कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर के नाम तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर कार्यालय में दिनांक 21.03.2018 तक प्रातः 11.00 बजे तक भौतिक रूप से जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में संवेदक की निविदा नहीं खोली जावेगी।


ई-टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :

1. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।



2. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
4. निविदादाओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 1 के अनुसार खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
8. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. निविदा सूचना इंटरनेट साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।
10. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
11. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. निविदा की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूमि समपहृत नहीं की जायेगी।
13. यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय में लेखाकार अथवा कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
14. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रिक अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवायें लेने से पहले नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
15. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
16. निविदा सूचना [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।
17. सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक No.CE/PWD/D&T/Cir./D-140 Dated 20.09.2016 की मूल भावनाओं के अनुरूप बीएसआर की दरों से कम दर देने वाले निविदाकार को "जी"-शिड्यूल की राशि एवं उसके द्वारा निविदत राशि के अन्तर की राशि आदेश अनुसार बैंक गारण्टी अथवा नगद नगर पालिका गंगापुर में जमा कराने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। कार्य अधुरा छोड़ने पर बैंक गारण्टी जब्त कर ली जायेगी। बैंक गारण्टी की अवधि निविदा के अनुरूप कार्य पूर्ण होने की अवधि तक मान्य होगी। उक्त अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर बैंक गारण्टी की अवधि को कार्य पूर्ण होने की वास्तविक अवधि तक बढ़ानी होगी।

  
अध्यक्ष  
नगरपालिका गंगापुर

  
अधिशायी अधिकारी  
नगरपालिका गंगापुर